सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

F.No. NCST/DEV-878/TS/4/2022-ESDW/RU-III 25.02.2026

To,

1. **The Secretary,**
   Ministry of Home Affairs,
   5th floor, Kartavya Bhavan,
   New Delhi
   Email: hshso@nic.in
   Tel.No. 011-24010001
2. **The Secretary,**
   Ministry of Tribal Affairs,
   Kartavya Bhavan,
   New Delhi
   Email: secy-tribal@nic.in
   Tel.No. 011-23381652
3. **The Chief Secretary,**
   Government of Chhattisgarh,
   Raipur, Chhattisgarh,
   Email: csoffice,cg@ gov.in
   Tel: 09826146416
4. **The Chief Secretary,**
   Government of Telangana,
   Block C, 3rd floor, Telangana Secretariat,
   Khairtabad, Hyderabad, A.P.- 500022
   Email: cs@telangana.gov.in, Tel.No. 040-23452620
5. **The Chief Secretary,**
   Government of Andhra Pradesh
   A.P.Secretariat, Velagapudi, Guntur,
   Andhra Pradesh - 522238
   Email: cs@ap.gov.in
   Tel.No. 0863-2441024
6. **The Chief Secretary,**
   Government of Maharashtra,
   Mumbai
   Email: cs@maharashtra.gov.in
   Tel.No. 022-22028594
7. **The Chief Secretary,**
   Government of Odisha,
   Bhubaneshwar-751001
   Email: csori@nic.in
   Tel.No. 0674-2534300

Sub: Representation dated 11-03-2022 from Shri Vetti Bheemaiah, Secretary – Valasa Adhivasula Samaikya, H.No. 4-35, Krishna Sagar Village, Krishnasagar Panchayat, Burgampahad Mandal, Bhadradri Kothagudem District, Telangana State – regarding the issue of Internally Displaced People(IDPs).

महोदय/महोदया,

I am directed to enclose herewith a copy of the minutes of the sitting held on 19.01.2026 at 04:40 PM under the Chairmanship of Shri Antar Singh Arya, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi 110003 on the above mentioned subject.

2. It is requested that the action taken/to be taken in the matter may be intimated to NCST within stipulated time from receipt of the letter for placing it before the Commission.

Yours faithfully,

(डॉ.पी.कल्याण रेड्डी/Dr. P. Kalyan Reddy)
निदेशक/Director
Telephone No. : 011-20819841

National Commission for Scheduled Tribes

Minutes of the Sitting held under the Chairmanship of Shri Antar Singh Arya, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes alongwith Members (Shri N. Chakma, Dr. Asha Lakra and Shri Jatothu Hussain) at Lok Nayak Bhawan, New Delhi regarding the grievances of Internally Displaced People (STs) of Chhattisgarh State residing in Telangana and Andhra Pradesh States with a focus on the reported seizure of their lands and the need for immediate intervention to safeguard their rights and livelihoods.

NCST/DEV-878/TS/4/2022-ESDW
Date of the Sitting: 19/01/2026, 4:40 PM
Participants in the Sitting: As per Annexure

Shri Vetti Bhaemaiah, General Secretary, Valasa Adhivasula Samaikya, Bhadradri Kothagudem District, Telangana, vide his petition dated 11.03.2022 has stated that Internally Displaced Persons (IDPs) from Chhattisgarh migrated to Andhra Pradesh and Telangana in 2005 to escape violence between Maoist guerrillas and security forces during the Salwa Judum movement. They cleared forest land and cultivated it for survival over the last 17 years, but in the past two years, both state governments have started reclaiming these lands, and recently, at least 75 settlements were attacked, rendering many IDPs landless and without livelihood. The petitioner requested urgent intervention to stop the ongoing violence and sought a visit from the Commission for preparing a detailed report with recommendations to the Government.

श्री वेट्टी भैमैया, महासचिव, वालसा आदिवासुला समैक्य, भद्राद्री कोठागुडेम जिला, तेलंगाना ने अपनी याचिका दिनांक 11.03.2022 के माध्यम से यह बताया है कि छत्तीसगढ़ से आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (IDPs) वर्ष 2005 में सलवा जुडूम आंदोलन के दौरान माओवादी गुरिल्लाओं और सुरक्षा बलों के बीच हुई हिंसा से बचने के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पलायन कर आए थे। इन विस्थापितों ने जीविकोपार्जन के लिए वन भूमि को साफ कर पिछले 17 वर्षों से उस पर खेती की। हालांकि, पिछले दो वर्षों से दोनों राज्य सरकारों ने इन भूमि क्षेत्रों को पुनः अपने अधीन लेना शुरू कर दिया है, और हाल ही में कम से कम 75 बस्तियों पर हमले किए गए हैं, जिससे अनेक IDPs भूमिहीन हो गए हैं और उनकी आजीविका भी समाप्त हो गई है। याचिकाकर्ता ने चल रही हिंसा को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है तथा आयोग से अनुरोध किया है कि वह स्थल का दौरा कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे और सरकार को आवश्यक सिफारिशें प्रस्तुत करे।

2. In this matter, sittings were held on 24.09.2024, 08.01.2025, 19.3.2025 (visited by Hon'ble Member) and 08.09.2025. In the last sitting held on 08.09.2025, the following recommendations were made and minutes were sent on 23.09.2025 to the Chief Secretaries of Chhattisgarh, Telangana, Andhra Pradesh, Mahrashtra and Odisha States and endorsement to Secretary,

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Ministry of Tribal Affairs and Secretary, Ministry of Home Affairs, New Delhi with request to submit the ATR within 30 days from receipt of the Minutes .

- The survey report in respect of the migrated ST persons from Chhattisgarh State to Andhra Pradesh and Telangana States provided by the petitioners in the sitting may be shared to Chhattisgarh, Telangana and Andhra Pradesh for confirmation by the NCST.
- The petitioner is advised to provide the data of migrated ST persons from Chattisgarh State to Odisha and Maharashtra States, as discussed in the sittings.
- The Govt. of Chhattisgarh is advised to prepare a strategy in respect of Land for Agriculture and House sites, Employment, Health and other developmental activities etc. to bring back migrated ST persons from other States to Chhattisgarh. The prescribed extent of land allocation (Not less than 5 Acres), employment for livelihood, PMAY Housing, community certificates and ration may be ensured as per the feasibility.
- The minimum development infrastructure like primary schools, primary health centers, anganwadi centres, electricity and drinking water may be ensured in the habitations.
- The Govt. of Chhattisgarh may also plan/ scheme to migrated ST person to other State, as per the Bru Settlement Plan of Tripura Govt.
- The Chattisgarh Government may examine the Bru resettlement plan of Mizoram and may come with the proposal of rehabilitating the families returning from the States of Telangana.
- Further, if any IDPs desire to continue to reside in the migrated states, the following options may be explored.
- Section 3(1)(m) of the Forest Rights Act, 2006, grants a specific right to restitution for Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who were illegally displaced or evicted. According to the Forest Rights Act, 2006, Section 3(1)(m) pertains to the right to in situ rehabilitation, including alternative land, for Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who were illegally evicted or displaced from forest land before December 13, 2005, without receiving their legal entitlement to rehabilitation. This section addresses historical injustices by providing a legal right to rehabilitation for those unlawfully displaced. The Revenue records available with the Revenue Department in their native District may be examined to ascertain and authenticate the claim.
- The Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Home Affairs and Governments of Chattisgarh, Andhra Pradesh and Telangana may work in coordination to address the long pending issue of IDPs.

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

इस प्रकरण में दिनांक 24.09.2024, 08.01.2025 (दिनांक 19.03.2025, माननीय सदस्य द्वारा स्थल भ्रमण) तथा 08.09.2025 को बैठकों का आयोजन किया गया। दिनांक 08.09.2025 को आयोजित अंतिम बैठक में निम्नलिखित अनुशंसाएँ की गईं तथा उनकी कार्यवृत्त (मिनट्स) दिनांक 23.09.2025 को छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं ओडिशा राज्यों के मुख्य सचिवों को तथा प्रतिलिपि सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को, इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गई कि कार्यवाही प्रतिवेदन (ATR) मिनट्स की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

अनुशंसाएँ:

- छत्तीसगढ़ राज्य से आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में प्रवासित एसटी व्यक्तियों के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा बैठक में प्रस्तुत की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट, पुष्टि हेतु एनसीएसटी द्वारा छत्तीसगढ़, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश को साझा की जा सकती है।

- याचिकाकर्ता को, बैठक में हुई चर्चा के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य से ओडिशा एवं महाराष्ट्र राज्यों में प्रवासित एसटी व्यक्तियों के आंकड़े उपलब्ध कराने की सलाह दी जाती है।

- छत्तीसगढ़ सरकार को अन्य राज्यों से प्रवासित एसटी व्यक्तियों को पुनः छत्तीसगढ़ लाने हेतु कृषि भूमि एवं आवासीय भूखंड, रोजगार, स्वास्थ्य तथा अन्य विकासात्मक गतिविधियों आदि के संबंध में एक रणनीति तैयार करने की सलाह दी जाती है। व्यवहार्यता के अनुसार भूमि आवंटन की निर्धारित सीमा (5 एकड़ से कम नहीं), आजीविका हेतु रोजगार, पीएमएवाई आवास, समुदाय प्रमाण पत्र एवं राशन सुनिश्चित किया जा सकता है।

- आवास स्थलों में न्यूनतम विकासात्मक अधोसंरचना जैसे प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, विद्युत एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है।

- छत्तीसगढ़ सरकार अन्य राज्यों में प्रवासित एसटी व्यक्तियों हेतु त्रिपुरा सरकार की ब्रू पुनर्वास योजना के अनुरूप योजना/स्कीम भी तैयार कर सकती है।

- छत्तीसगढ़ सरकार मिजोरम की ब्रू पुनर्वास योजना का परीक्षण कर सकती है तथा तेलंगाना राज्यों से वापस लौटने वाले परिवारों के पुनर्वास हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है।

- इसके अतिरिक्त, यदि कोई IDPs प्रवासित राज्यों में ही निवास करना चाहता है, तो निम्नलिखित विकल्पों का अन्वेषण किया जा सकता है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(m) अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों को, जिन्हें अवैध रूप से विस्थापित या बेदखल किया गया था, पुनर्स्थापन का एक विशिष्ट अधिकार प्रदान करती है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अनुसार, धारा 3(1)(m) में 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन भूमि से अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किए गए अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों को, उनके वैधानिक पुनर्वास अधिकार प्राप्त न होने की स्थिति में, वैकल्पिक भूमि सहित स्थल पर पुनर्वास (इन-सिटू रिहैबिलिटेशन) का अधिकार प्रदान किया गया है। यह धारा ऐतिहासिक अन्यायों को संबोधित करते हुए अवैध रूप से विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास का कानूनी अधिकार प्रदान करती है। उनके मूल जिले में राजस्व विभाग के पास उपलब्ध राजस्व अभिलेखों की जांच कर दावे का निर्धारण एवं प्रमाणीकरण किया जा सकता है।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

• जनजातीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सरकारें IDPs के लंबे समय से लंबित मुद्दे के समाधान हेतु समन्वय में कार्य कर सकती हैं।

3. In response to recommendations of sitting held on 8.9.2025, the Commissioner, Bastar Division, Jagdalpur (Chhattisgarh) vide letter dated 26.11.2025 has informed that the list provided by the petitioner regarding information related to IPDs in the migrated states (Telangana and Andhra Pradesh) was given to survey team. The Survey team could not found the information regarding the displaced families in the said villages. The petitioner was asked to provide the village & family wise information. The petitioner sought three weeks time for providing the same. But the information could not be provided so far. Therefore, survey work could not completed. The efforts are being taken for collecting the same. दिनांक 08.09.2025 को आयोजित बैठक की संस्तुतियों के संदर्भ में, आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर (छत्तीसगढ़) ने अपने पत्र दिनांक 26.11.2025 के माध्यम से सूचित किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश जैसे प्रवासित राज्यों में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDPs) से संबंधित जो सूची उपलब्ध कराई गई थी, उसे सर्वेक्षण दल को प्रदान किया गया। सर्वेक्षण दल, उक्त गांवों में विस्थापित परिवारों से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। इसके पश्चात याचिकाकर्ता से गांव-वार एवं परिवार-वार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। याचिकाकर्ता ने उक्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा था, किंतु अब तक यह जानकारी प्रदान नहीं की गई है। अतः सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। तथापि, संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

4. Keeping in view of the reply furnished by the Govt. of Chhattisgarh, the NCST decided to discuss the issue with the Chief Secretaries of Chhattisgarh, Telangana, Andhra Pradesh and Maharashtra and Secretary, Ministry of Tribal Affairs and Secretary, Ministry of Home Affairs, New Delhi. Accordingly, a sitting Notice was issued to all concerned on 7.1.2026. The Chief Secretary, Govt. of Maharashtra vide letter dated 14.1.2026 has sought exemption and deputed Dy. Commissioner (Development), Tribal Development Department, Nasik to attend the sitting.

The Chief Secretary, Govt. of Chhattisgarh vide letter dated 16.1.2026 has informed that the concerned State Governments has not nominated the Nodal Officer in the respective districts for completion of the survey. At present the work of SIR is in progress , resulting that the additional time will be sought for completion of the survey of the IPDs. It is also requested that the concerned State Govt. may be asked to nominate the Nodal Officers in the respective districts for completion of Joint Survey for authentic information regarding IPDs. The Commissioner, Bastar Division, who is the Nodal Officer is nominated to attend the sitting.

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत उत्तर को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र के मुख्य सचिवों तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सचिवों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने का निर्णय लिया। तदनुसार, सभी संबंधित पक्षों को दिनांक 07.01.2026 को बैठक का नोटिस जारी किया गया।महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव ने अपने पत्र

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

दिनांक 14.01.2026 के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने से छूट का अनुरोध किया तथा जनजातीय विकास विभाग, नासिक के उप आयुक्त (विकास) को बैठक में भाग लेने हेतु नामित किया।

छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव ने अपने पत्र दिनांक 16.01.2026 के माध्यम से सूचित किया कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सर्वेक्षण पूर्ण करने हेतु संबंधित जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। वर्तमान में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य प्रगति पर है, जिसके कारण आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDPs) के सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी।इसके अतिरिक्त, यह भी अनुरोध किया गया है कि संबंधित राज्य सरकारों को संयुक्त सर्वेक्षण के माध्यम से IDPs से संबंधित प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने हेतु अपने-अपने जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए निर्देशित किया जाए। बस्तर संभाग के आयुक्त, जिन्हें नोडल अधिकारी नामित किया गया है, को बैठक में उपस्थित होने के लिए नामित किया गया है।

5. In the sitting, the officers from Chhattisgarh, Andhra Pradesh and Maharashtra State and Joint Secretary, Ministry of Tribal Affairs and Joint Secretary, Ministry of Home Affairs and petitioner were present. The petitioner has reiterated his earlier submission and requested for completion of survey. The Commissioner, Bastar Division, Govt. of Chhattisgarh has reiterated the facts submitted by Chief Secretary, Govt. of Chhattisgarh vide letter dated 16.1.2026. The officer of Govt. of Maharashtra has informed that there is no information of the IPDs settled in the State.

The PO, ITDA, Chintoor (Govt. of Andhra Pradesh) has provided the letter dated 16.1.2026 of Director, Tribal Welfare Department, Govt. of Andhra Pradesh. In the letter it has been informed that the survey data has already been shared with the Govt. of Chhattisgarh. The PO, ITDA of Chintoor, Rampachodavaram and K.R. Puram has been nominated for conducting the joint survey for verification and authentication of IDPs. It was also informed that there are 2,100 migrants household from Chhattisgarh known as Gothikoyas, comprising 8,435 individuals, who have settled in erstwhile East and West Godavari District covering six Mandals. The Gothikoyas, have been categorised as General populations and the Govt. is providing basic amenities to them.

The Spl. Chief Secretary, Tribal Welfare Department, Govt. of Telangana vide letter dated 17.1.2026 has informed that the Guthi Koyas are not treated as ST in the State. However, the basic facilities has been provided to them. It was informed that the biennial Medaram Jathara is commencing from 28.1.2026 to 31.1.2026, for which Tribal Welfare Department is the Nodal Department for making the arrangements and the Honb'le Chief Minister has programmed to inaugurate the works on 19.1.2026 at Medaram. Hence, exempt for attending the sitting.

बैठक में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों के अधिकारी, जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय,

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

भारत सरकार के संयुक्त सचिव तथा याचिकाकर्ता उपस्थित थे। याचिकाकर्ता ने अपनी पूर्व प्रस्तुतियों को दोहराया तथा सर्वेक्षण को शीघ्र पूर्ण किए जाने का अनुरोध किया। छत्तीसगढ़ सरकार के बस्तर संभाग के आयुक्त ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव के पत्र दिनांक 16.01.2026 के माध्यम से प्रस्तुत तथ्यों को पुनः दोहराया। महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी ने अवगत कराया कि राज्य में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDPs) के बसने से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

आंध्र प्रदेश सरकार के पीओ, आईटीडीए, चिंटूर ने जनजातीय कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार के निदेशक का पत्र दिनांक 16.01.2026 प्रस्तुत किया, जिसमें सूचित किया गया है कि सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़े पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साझा किए जा चुके हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि चिंटूर, रामपचोदावरम एवं के.आर. पुरम के पीओ, आईटीडीए को IDPs के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण हेतु संयुक्त सर्वेक्षण कराने के लिए नामित किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि छत्तीसगढ़ से प्रवास कर आए लगभग 2,100 परिवार, जिन्हें Gothikoyas कहा जाता है, जिनमें कुल 8,435 व्यक्ति शामिल हैं, पूर्ववर्ती पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी जिलों के छह मंडलों में निवास कर रहे हैं। Gothikoyas समुदाय को सामान्य जनसंख्या की श्रेणी में रखा गया है तथा सरकार द्वारा उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

तेलंगाना सरकार के विशेष मुख्य सचिव, जनजातीय कल्याण विभाग ने अपने पत्र दिनांक 17.01.2026 के माध्यम से सूचित किया कि गुथी कोया (Guthi Koyas) को राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में नहीं माना जाता है, तथापि उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह भी बताया गया कि द्विवार्षिक मेदाराम जातरा दिनांक 28.01.2026 से 31.01.2026 तक आयोजित की जा रही है, जिसके लिए जनजातीय कल्याण विभाग नोडल विभाग है तथा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 19.01.2026 को मेदाराम में कार्यों का उद्घाटन प्रस्तावित है। इस कारण बैठक में उपस्थित होने से छूट का अनुरोध किया गया।

6. It was observed that the NCST has discussed the issue many times with the concerned authorities but there is no authentic information about the IDPs settled in other States. Hence, it would be more appropriate that a Central Ministry (i.e. Ministry of Tribal Affairs or MHA), Govt. of India may coordinate with the States for resolving the problems of IDPs.

यह अवलोकन किया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा संबंधित प्राधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर अनेक बार चर्चा की गई है, किंतु अन्य राज्यों में बसे आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDPs) के संबंध में अब तक कोई प्रामाणिक एवं सत्यापित जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। अतः यह अधिक उपयुक्त होगा कि किसी केंद्रीय मंत्रालय, (जनजातीय कार्य मंत्रालय या गृह मंत्रालय) भारत सरकार, द्वारा संबंधित राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।

7. After discussion with the officers of States of Chhattisgarh, Andhra Pradesh and Maharashtra and Joint Secretary, Ministry of Tribal Affairs and Joint Secretary, Ministry of Home Affairs and petitioner, the following recommendations were made and action taken there on may be submitted to NCST within 30 days.

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

- The Chief Secretaries of Govt. of Telangana and Andhra Pradesh in coordination with the Secretaries of Tribal Welfare and Forests Departments are requested to facilitate to conduct a joint survey in the said villages of the IDPs in the identified districts in consultation with the State Govt. of Chhattisgarh and NGO Valasa Adviavsula Samakya(the petitioner) for verification and authentication of persons of IDPs (Guthi Koyas). The name of Nodal Officers nominated for the purpose may be shared/intimated to Commissioner, Bastar Divsion, Jagdalpur, Govt. of Chattisgarh and NCST.

- The petitioner is also advised to provide the available data on village & family wise information regarding IDPs along with IDP families settled in Odisha and Maharashtra States to the Commissioner, Bastar Divsion, Jagdalpur, Govt. of Chattisgarh so as to reconcile missing information if any.

- The Ministry of Home Affairs /LWE division of MHA is requested to nominate a Nodal Officer for co-ordination with the State Governments (Chhattisgarh, Telangana and Andhra Pradesh) for getting authentic information related to IDPs settled in Telangana, Andhra Pradesh , Maharashtra and Odisha, so that long pending demands of migrant STs from Chhattisgarh to the States of Telangana and Andhra Pradesh may be resolved. A time bound exercise for conclusion of enumeration may be made in 60 days by the MHA. Thereafter, the MHA may take a lead to settle the issue in the similar lines of Bru resttlement plan in Case of Mizoram and Tripura.

- The Ministry of Tribal Affairs may examine the feasibility of coordinating with State Governments for support under Section 3(1)(m) of FRA Act for the cause of IDPs.

- After the conclusion of survey, the IDPs if willing may be given option to return back to their native places. The Chief Secretary of Chattisgarh may chalk out the plan for that purpose in consultation with the IDPs. The minimum requirements like reclamation of their original land/ providing the maximum permissible land under FRA ie,10 acres, solar powered pumpsets, fencing to their land, converging with NREGS to make the barren land to cultivable land, Provision of House under PMAY may be ensured.

- The children of the Guthikoya families may be provided relaxations for facilities of admission in the Government schools and colleges in Telangana and Andhra Pradesh.

7. छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के अधिकारियों और जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव और याचिकाकर्ता के साथ चर्चा के बाद, ये सुझाव दिए गए और उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी 30 दिनों के अंदर आयोग को प्रस्तुत करें।

- तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश सरकारों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया जाता है कि वे जनजातीय कल्याण तथा वन विभागों के सचिवों के समन्वय से, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार एवं गैर-सरकारी संगठन वलासा

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

आदिवासुला समाक्या (याचिकाकर्ता) से परामर्श कर, चिन्हित जिलों के संबंधित गाँवों में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी – गुथी कोया) के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण हेतु संयुक्त सर्वेक्षण कराने की सुविधा प्रदान करें। इस उद्देश्य के लिए नामित नोडल अधिकारियों के नाम आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सरकार तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) को साझा/सूचित किए जाएँ।

- याचिकाकर्ता को यह भी सलाह दी जाती है कि वे आईडीपी से संबंधित उपलब्ध गाँव-वार एवं परिवार-वार जानकारी, तथा ओडिशा एवं महाराष्ट्र राज्यों में बसे आईडीपी परिवारों का विवरण आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सरकार को उपलब्ध कराएँ, ताकि यदि कोई जानकारी अपूर्ण हो तो उसका समन्वय/सत्यापन किया जा सके।

- गृह मंत्रालय / एलडब्ल्यूई प्रभाग (MHA) से अनुरोध किया जाता है कि वह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं ओडिशा राज्यों के साथ समन्वय हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करे, ताकि तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में बसे छत्तीसगढ़ के प्रवासी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रामाणिक जानकारी प्राप्त की जा सके और लंबे समय से लंबित मांगों का समाधान हो सके। आईडीपी की गणना/सूचीकरण की प्रक्रिया को 60 दिनों की समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। इसके उपरांत, गृह मंत्रालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा में ब्रू पुनर्वास योजना की तर्ज पर, इस विषय को सुलझाने में नेतृत्व करने का कष्ट करे ।

- जनजातीय कार्य मंत्रालय , वन अधिकार अधिनियम (FRA) की धारा 3(1)(m) के अंतर्गत आईडीपी के हित में राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर सहायता की संभावनाओं की जाँच करने का कष्ट करे ।

- सर्वेक्षण की समाप्ति के पश्चात, यदि आईडीपी इच्छुक हों, तो उन्हें अपने मूल निवास स्थानों पर वापस लौटने का विकल्प दिया जा सकता है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव द्वारा आईडीपी से परामर्श कर, एक कार्ययोजना तैयार करनी होगी, जिसमे न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे—उनकी मूल भूमि की पुनः प्राप्ति / FRA के अंतर्गत अधिकतम अनुमेय भूमि (अर्थात 10 एकड़) का आवंटन,सौर ऊर्जा चालित पंप सेट,भूमि की बाड़बंदी,मनरेगा के साथ अभिसरण कर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना,प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)के अंतर्गत आवास की सुविधा सुनिश्चित की जा सकती है।

- गुथी कोया परिवारों के बच्चों को तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आवश्यक रियायतें प्रदान की जाएँ।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

8/8

F. No NCST/DEV-878/TS/4/2022-ESDW

List of participants of the sitting held on 19.1.2026 at 4:40 under the chairmanship of Shri Antar Singh Arya, Hon'ble Chairperson, NCST at New Delhi.

Sr. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1. 2	Sh. N. Chalema, Hon'ble Member Dr. A. Lakra, Hon'ble Member	.	
3.	Shri Jatothu Hussain Hon'ble Member		
4.			
5.	Dr. P.Kalyan Reddy Director		
6.	NCST Officials		
II	**Govt. of Andhra Pradesh**		
Sr. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
	SHUBHAM NOKHWAL PO ITDA Chinturu	ITDA Chinturu 7023832108	[signature]
III	**Govt. of Telangana**		
IV	**Govt. of Chattisgarh**		
	Doman Singh	Div Comm Bastar	[signature]
	Bhuwal Singh Sidar	Dy. Comm.	[signature]

V		Govt. of Maharashtra	
(1)	shashikala p. Ahirrao	commissionerate Dy. commissioner	7507251511
VI		M/o Home Affairs	
	Nishtha Tiwari	Joint Secretary IS-II, MHA	7588181614
VII		M/o Tribal Affairs	
	Anant Prakash Pandey	JS, MoTA	9560670670
VIII	V. Bheemai P.,	Petitioner	9309854826
	Dr. Shine. P. Sathi	Van Vani Kalyanam	9582260857